



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 2561-पें०एवंआर०-28/पाकालि/11-60-पी/98टी०सी०(विविध)

दिनांक : 03 सितम्बर, 2011

समस्त पेंशन वितरण अधिकारी,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/
वितरण निगम/उ०प्र० ट्रांसको,

परिपत्र

विषय:- सभी पेंशनरों को प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना।

कारपोरेशन के उपरोक्त विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2011 को सम्पन्न उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाय।

इस सम्बन्ध में समस्त पेंशन वितरण इकाईयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अन्तर्गत सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का बैंक खाता खुलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को बैंक के माध्यम से मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को किया जा सके।

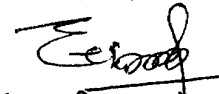
निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०)

संख्या :- (1)पें०एवंआर०-28/पाकालि०/11 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कानपुर।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), विद्युत वितरण निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (ई०एण्डएम०), पेंशन वितरण इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(एच०सी० लाल)

अनु सचिव (पें०एवंआर०)